प्रेस नोट

राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 एवं उसके अध्यधीन पारित नियमों के निहित प्रावधानों के अन्तगर्त राजस्थान गृह रक्षा (होमगार्ड) के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केन्द्रों/उप केन्द्रों एवं सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की विभिन्न कम्पनियों में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 2,500 रिक्त पदों पर नामांकन (Enrollment) के लिए योग्य अभ्यार्थियों से ऑन–लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 04 मार्च, 2020 को जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति राजस्थान सरकार की वेबसाईट **http://home.rajasthan.gov.in/homeguards** पर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात् कोरोना (कोविड–19) महामारी के कारण अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आंमत्रित करने की तिथि आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई थी।

महानिदेशक होमगार्डस राजीव दासोत ने बताया कि वर्तमान में लॉकडाउन में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान किये जाने के परिपेक्ष्य में नामांकन के लिए आवेदन पत्र अब दिनांक 10.06.2020 से दिनांक 09.07.2020 रात्रि 12.00 बजे तक ऑन–लाईन भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में ऑनलाईन आवेदन करें। नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल से 08 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अनुसार आवेदक की आयु 01.04.2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी होकर भर्ती केन्द्र/उपकेन्द्र से संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/तहसील में गत 03 वर्षों से लगातार निवास करने वाला होना चाहिए।

महानिदेशक, होमगार्डस, राजस्थान श्री राजीव दासोत ने बताया कि नामांकन के समस्त चरणों यथा पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्रों की जांच, शारीरिक माप–तोल परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा विशेष योग्यता का विवरण विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। नामांकन प्रकिया में राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण लागू रहेगा। समस्त अभ्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय विज्ञप्ति का भली भाँति अध्ययन कर लें।

——— 0 ———